

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)

केरेबो कांप्लेक्स, बी.टी.एम. लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरु-560 068.



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. of India)

CSB Complex, B.T.M. Layout,
Madiwala, Bengaluru-560 068.

सं. केरेबो-17(6)/2015/श्रम

दिनांक: 08 सितंबर, 2017

परिपत्र

केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु के ध्यान में आया है कि कई नियमित कर्मचारी/फार्म कार्मिक सूचना के बिना लंबी अवधि तक इयूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने/छुट्टी पर रहने के आदी हैं, जिसके लिए संबंधित इकाईयों/केन्द्रों/संस्थानों के प्रभारी अधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह पाया गया है कि फार्म कार्मिक, जो पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अप्राधिकृत अनुपस्थित पर था, के विरुद्ध संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

नियमित कर्मचारियों/फार्म कार्मिकों की संबंधित प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थिति को अप्राधिकृत/डाइस-नॉन माना जाता है क्योंकि ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति संबंधित केरेबो इकाई के सामान्य कार्य को प्रभावित करता है। जब एक नियमित कर्मचारी अथवा फार्म कार्मिक अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर जाता है, तो संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए संबंधित से स्पष्टीकरण मांगने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें लिखित में यह भी सूचित करना चाहिए कि यदि वे किसी निश्चित तारीख को या उसके पहले इयूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसी सूचना कर्मचारी/फार्म कार्मिक के अंतिम ज्ञात पते/छुट्टी के दौरान पते कोई हो तो, तथा गृह/स्थायी पते पर पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा (अथवा स्पीड पोस्ट, जहाँ भी जरूरत हो) भेजना चाहिए।

आगे, केरेबो इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणधीन कार्यरत नियमित कर्मचारियों/फार्म कार्मिकों के नाम उल्लिखित करते हुए विवरण प्रस्तुत करें, जो अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर हैं और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई आदि का विवरण केन्द्रीय कार्यालय को 06 अक्टूबर 2017 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

जहाँ पर भी संबंधित इकाई द्वारा इयूटी से अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर रहने वाले कर्मचारियों/फार्म कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, प्रभारी अधिकारी इस अवसर का उपयोग करें और केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु को सूचित करते हुए तुरंत उचित कार्रवाई करें।

(जूलियन तोम्बियास)

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

सभी प्रभारी अधिकारी, मुख्य संस्थान

क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालय केरेबो, बेंगलूरु

के नियंत्रणाधीन कार्यरत इकाई



पो.बा.सं/ P.B. No. : 6825

वेबसाइट / website : <http://csb.gov.in>

Your Assurance of Pure Silk



सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

दूरभाष / Phone : +91-80-26282699

फैक्स / Fax : +91-80-26681511

ई-मेल / e-mail : ms.csb@nic.in



Eco Friendly Indian Silks

No.CSB- 17(6)/2015/Calow

Date: 8 September 2017


CIRCULAR

It has come to the notice of the Central Office, CSB, Bangalore that many regular employees / Farm Workers are in the habit of remaining long unauthorized absence from duty without intimation / leave for which immediate action is not being taken by the Officers In-charge of the concerned Units / Stations / Institutes. It is observed that no action has been taken by the concerned In-charge Officer against a Farm Worker who was on unauthorized absence for over five years.

The absence of regular employees / Farm Workers without permission of the concerned Officer In-charge is treated as unauthorized / dies-non since such unauthorized absence affects the normal working of the concerned CSB Unit. When a regular employee or a Farm Worker proceeds on unauthorized absence, immediate action should be taken by the Officer In-charge concerned to seek explanation from the concerned for the unauthorized absence. They should also be informed in writing that in case they do not report for duty on or before a particular date, disciplinary action will be taken against them for their misconduct and such communication should be sent by Registered Post with A/D (or Speed Post wherever necessary) to the employee's / Farm Worker's last known address / leave address, if any, and home / permanent address.

Further, the Officers In-charge of the CSB Units are requested to furnish a statement indicating the names of regular employees / Farm Workers working under their control, who are on unauthorized absence and the action taken by them against those on unauthorized absence, etc. to the Central Office, CSB, Bangalore on or before 6th October 2017.

Wherever action has not been taken by the concerned Unit against those employees / Farm workers who are on unauthorized absence from duty, the Officers In-charge may utilize this as an opportunity and take suitable action immediately under intimation to Central Office, CSB, Bangalore.


(Julian Tobias)
Joint Director (Admn.)

To

All Officers In-charge of Main Institutes /
Regional Offices / Units functioning
under the control of Central Office,
CSB, Bangalore

The DD (Computer)
CSB. Bangalore.